श्रम मंत्रालय ने बंद करवाई पीएफ की कवरेज

दिल्ली (म.मो.) । मोदी सरकार के श्रम मंत्री ने अपना पदभार संभालते ही सबसे पहले पीएफविभाग में, कम्पनियों, जिनमें सभी तरह के कारोबारी आते हैं तथा जिनमें बीस या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हों, की कवरेज पारदर्शिता लाने के बहाने लगभग बंद ही करवा दी हैं। इस नियम के अंतर्गत अब सारी कवरेज ऑन लाईन होंगी। देश के पीएफ कार्यालयों में हजारों कवरेज की वो फाईलें कई महीनों से ज्यों कि त्यों पड़ी हुई है जिन्हे एरिया इन्सपेक्टर जैसे तैसे कवर करके लाये थे। इस बारे में जब मजदूर मोर्चा ने इस विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी से बात की तो उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले कई महीनों से फील्ड स्टाफद्वारा कवर करके लाई गई नई कवरेज सिस्टम की जटिलताओं के कारण लंबित पड़ी हुई हैं। इस बारे में विभाग की संबंधित विंग से भी सलाह ली गई है लेकिन बिना स्थापनाओं के, मालिकों की ईमेल आई डी व मोबाईल नम्बर के सिस्टम आगे नहीं बढ़ पाता है जिस कारण फाईलें लंबित पड़ी हुई है। गौरतलब है कि आज कोई भी मालिक अपनी स्थापना को पीएफ में कवर नहीं करना चाहता है वह इस कवरेज से बचने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाने को तत्पर रहता है यदि कोई अधिकारी किसी भी कवरेज को नियमानुसार करना भी चाहे तो नए सिस्टम में बिना कम्पनी मालिक के सहयोग से कर ही नहीं सकता है। पिछले चार पांच महीनों में जो भी कवरेज हुई है वे या तो ठेकेदारों की हुई हैं जिन्हें किसी भी बड़ी कम्पनी में काम का ठेका लेने के लिए पीएफ का कोई नम्बर मजबूरी में लेना पड़ता है या फिर बड़ी कम्पनियों ने कोड नम्बर लिए है।

मोदी का सफाई अभियान

शहर की सफाई या बजट की ?

नई दिल्ली (म.मो)। बीती 2 अक्टूबर को नरेन्द्र मोदी ने पूरे भारत में सफाई अभियान की शुरूआत की। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को इस अभियान से जोड़कर ना सिर्फउन्होंने गांधी को कांग्रेस से छीनने की कोशिश की बल्कि पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार के द्वारा इसे भावनात्मक मुद्दा बनाने की कोशिश भी की। लेकिन देश का बच्चा बच्चा भी जानता है कि मोदी यह मुद्दा सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए उठा रहे थे। वे चाह रहे थे कि लोग सिर्फ झाड़ू लेकर 2019 तक सफाई में लगे रहें और कोई भी महंगाई, बेरोजगारी, कालाधन जैसे मुद्दों पर सवाल उठाकर उनके झूठे आश्वासनों की पोल ना खोले। इसीलिए उन्होंने इसके लिए कई हजार करोड़ का बजट भी निर्धारित किया और पांच साल का समय।

2 अक्टूबर को कुछेक जगह झाड़ू लगाई जानी थी और बाकी सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने दफ्तर में आकर सफाई की शपथ लेनी थी। 2 अक्टूबर वैसे सरकारी दफ्तरों में छुट्टी होती थी और इस बार तो लगातार 6 तारीख तक छुट्टियां भी थी सो ऐसे उत्सवपूर्ण माहौल में मोदी द्वारा लोगों को दफ्तर बुलाकर रंग में भंग डालना उन्हें बड़ा अखरा। लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए) ने तो अपने कर्मचारियों के इस गम को खुशी में बदल दिया। डी.डी.ए. ने 2 अक्टूबर को दफ्तर आने वाले अपने सभी कर्मचारियों को, चपरासी से लेकर कमिश्नर तक, 3000 रूपए प्रति व्यक्ति प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। यह भी पता चला है कि 2 अक्टूबर की छुट्टी पर रहने वाले एक कर्मचारी की 2 तारीख से 6 तारीख तक की तनख्वाह काट ली गई है। मोटे तौर पर हिसाब लगाये तो डी.डी.ए. में इस समय लगभग 16000 कर्मचारी है और 3000 रूपए प्रति कर्मचारी के हिसाब से डी.डी.ए ने लगभग 4 करोड़ 80 लाख रूपए अपने कर्मचारियों को बांट दिये और यह रकम कोई सफाई करने पर नहीं खर्च की गई बल्कि 10 मिनट के लिए दफ्तर आकर साफ-सफाई रखने की कसम खाने के लिए ही दे दी है।

यह भी पता चला है कि यह प्रोत्साहन राशि केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों यानि 20 लाख लोगों को दी जायेगी। यानि लगभग 600 करोड़ रूपया तो मोदी जी सफाई की कसम खाने पर ही बांट देंगे। बाकी कुछ और छुटपुट कार्यक्रम पर खर्च कर देंगे और यह कार्यक्रम पांच साल यानि 2019 तक चलना है, तो हर साल का इतना खर्चा तो इन शपथ ग्रहण समारोहों पर तय है।

लगता है शहर की सफाई हो। न हो मोदी जी भारत सरकार के बजट की सफाई जरूर कर जायेंगे।

मोदी जी फरमाते हैं

गली मौहल्ले साफ करो मोदी जी फरमाते हैं।
बाकी कुछ मत बात करो बाकी फिजूल की बाते हैं।
बच्चों से बतियाने दो, प्रैस को चाय पिलाने दो,
डीजल को खुलवाने दो, गैस के दाम बढ़ाने दो,
जनता कुछ भी मांगे तो, बजट में अपने घाटे हैं।
बिजली के दाम बढ़ाने दो, अम्बानी को कोयला खाने दो,
जमीन के दाम घटाने दो, मजदूरों को हड़काने दो,
दंगों की फसल उगाने दो, वोटों के उठे घंघाटे हैं।
काला धन भी ले आयेंगे, महंगाई भी हटवायेंगे,
पर चुनावों में जिन्होंने खर्च किया पहले उनका कर्ज चुकायेंगे,
जनता थोड़ा धीरज धरे, जल्दी में मोटे लाले हैं।
पांच साल का दिया कार्यक्रम, तुम तो झाड़ू पर ध्यान धरो,
'इल्मी' और 'थरूर' भी आ गये अब तो कुछ विश्वास करो,
देश बेचकर खाना है हमें हम क्या बैठे ठाले हैं।
गली मौहल्ले साफ करो मोदी जी फरमाते हैं।
बाकी कुछ मत बात करो बाकी फिजूल की बातें हैं।

- अजातशत्रु

श्रमिकों की सत्ताईस नहीं पचासों हजार करोड़ की रकम है प्रधानमंत्री जी

दिल्ली (म.मो.) 16 अक्टूबर को विज्ञान भवन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रमेव जयते नामक कार्यक्रम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशदाताओं के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या जारी करते हुए दर्शकों से खूब तालियां बटोरते हुए कहा कि इपीएफ ओ में सत्ताईस हजार करोड़ की राशि का कोई दावेदार नहीं है।

सवाल यह उठता है कि भारत जैसे गरीब देश में इतनी बड़ी रकम के दावेदार कहां है ? इस बारे में जब मजदूर मोर्चा ने पता लगाया तो विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि सन 1952 यानि जब से पीएफएक्ट बना है तब से आज तक इसका सही ऑडिट हुआ ही नहीं है। पीएफमें जमा होने वाली रकम स्टेट बैंक में जमा होती है, जहां से आज तक पीएफके खातों का सही मिलान नहीं हो पाया है। वो तो तब है जबकि इपीएफओ ने पचासों सीए बीस वर्ष पहले कमिश्नर के पदों पर भर्ती किये थे जो आज तक करोड़ों का वेतन ले चुके हैं। लेकिन अपने खातों का मिलान बैंक से नहीं करवा सके।

एक बात और भी पता चली कि पीएफ विभाग उन सबसे गरीब मजदूरों के पीएफ पर खुलेआम डाका डाल रहा है जो छह माह या उससे पहले नौकरी छोड़ देते हैं असलियत में कोई गरीब मजदूर नौकरी छोड़ना तो चाहता ही नहीं बल्कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस अवस्था में उसके पीएफके मालिक वाले हिस्से के 8.33 प्रतिशत अंशदान जो पैंशन फण्ड के नाम पर काटा जाता है, को पीएफविभाग देता ही नही है। यह रकम इस सत्ताईस हजार करोड़ में शामिल नहीं है। यह राशि भी हजारों करोड़ है। प्रधानमंत्री जी इस जब्त की हुई रकम को क्या मजदूरों को वापिस दिलवायेंगे ? इसके अतिरिक्त कई हजार करोड़ की रकम वो भी है जो आज तक पीएफ विभाग बेईमान पूंजीपतियों से वसूल नहीं कर पाया है जिसे कम्पनी मालिकों ने मजदूरों के वेतन से काट तो लिया लेकिन उनके खाते में जमा नहीं करवाया। इस हजारों करोड़ की रकम को पीएफविभाग के ही भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से हड़पा गया है और आज तक भी ये खेल जारी है।

इस खेल में शामिल अधिकारी आज भी मलाई खा रहे हैं। क्या मोदी सरकार ऐसे अधिकारियों की पहचान करके उनके विरूद्ध कार्रवाई करेगी ? इसके अतिरिक्त आज अधिकतर कंपनी मालिक मजदूरों से आठ घंटे के स्थान पर बारह घंटे काम करवाते हैं और मजदूरी केवल आठ घंटे की देते हैं और तो और पीएफ के दोनों अंशदान भी मजदूर से ही काट लेते हैं। यह खेल अधिकतर ठेकेदार करते हैं और इस ठेकेदारी प्रथा को एनडीए की पिछली सरकार ने ही बढ़ावा दिया था।

अपने जिस सार्वभौमिक खाता नम्बर को लेकर पीएफविभाग एवं सरकार इतना इतरा रही है, वह कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि मजदूर से वसूला गया पैसा उसको लौटाने का वह पुख्ता तरीका है जो सरकार गत 62 साल में नहीं बना पाई। यह तरीका भी कितना कारगार होगा, समय ही बतायेगा। **रही बात श्रमिकों के पैसे के हड़पने की तो एक 27 हजार करोड़ ही क्यों ईएसआई निगम तो पूरे 50 हजार पर कुंडली मारे बैठा है। इतना ही नहीं, इस रकम में प्रतिवर्ष 8 हज़ार करोड की वृद्धि भी लगातार हो रही है।**

'अच्छे दिनों' के नाम पर मजदूर हितों की बलि

दिल्ली (म.मो.)। काला धन, महंगाई व भ्रष्टाचार के मुद्दों को ताक पर रखकर देश की श्रम शक्ति की ऐसी तैसी करने में जुट गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। ई.एस.आई. निगम व ई.पी.एफ के काम काज में व्यापक सुधार करने एवं घोटालेबाजी को समाप्त करना तो दूर रहा, उल्टे मजदूर हितों की रक्षा करने वाले कानूनों को भी उनकी सरकार निरस्त करने जा रही है।

संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार जो बिल लाने जा रही है उसके मुताबिक छोटी फैक्टरियों में निम्नलिखित कानून लागू नहीं होंगे:-

फैक्टरी एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक नौकरी (स्टैंडिग आर्डर) अधिनियम 1946, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन अदायगी 1936, बोनस 1965, राज्य कर्मचारी बीमा (ईएसआई) अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि तथा फुटकर प्रावधान अधिनियम 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, कर्मचारी मुआवजा 1923, अन्तर्राज्यीय विस्थापित मजदूर (नौकरी का नियमन व सेवा शर्ते) अधिनियम 1979, (राज्य) दुकान एवं संस्थान अधिनियम, बराबर मजदूरी अधिनियम 1976, बाल श्रमिक (रोकथाम तथा नियमन) अधिनियम 1986।

यद्यपि छोटी फैक्टरियों की परिभाषा सरकार ने अभी स्पष्ट नहीं की है, लेकिन भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार 40 से कम श्रमिकों वाली इकाईयों को छोटी फैक्टरी की श्रेणी में रखा जायेगा। सर्वविदित है कि फिलहाल 100-100 श्रमिकों वाली इकाईयां इन सभी कानूनों को धत्ता बताते हुए खुलेआम उल्लंघना करने में जुटी हैं और अब यह छूट मिलने के बाद तो तमाम ईकाईयां अपने मजदूरों को रूई की तरह धुन डालेंगी।

ईएसआई लागू करने की सीमा पहले 20 श्रमिक से घटाकर 10 इसलिए की थी कि छोटी इकाईयों के मजूदर भी इसका लाभ उठा सके। लेकिन मोदी सरकार द्वारा यह सीमा 10 से बढ़ाकर चालीस कर दिये जाने के बाद सौ-सौ श्रमिकों वाली इकाईयां भी इस चोर दरवाजे से निकलने में सफल होंगी। यही स्थिति भविष्य निधि के मामले में भी होने जा रही हैं।

श्रम कानूनों में उक्त संशोधन का सीधा-सीधा अर्थ होगा अमेरिकी श्रम नीति-हायर एंड फायर, जब जी चाहे भर्ती करो जब जी चाहे लात मारकर बाहर करो को लागू करना। इन तमाम संशोधनों को कराने का भरोसा मोदी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान वहां के पूंजीपतियों को देकर आये थे। दरअसल अधिक मुनाफा कमाने के लिए पूंजीपतियों को सस्ते से सस्ता श्रम चाहिए। इसी सस्ते एवं निर्बाध श्रम का वायदा मोदी जी अमेरिका वालों को देकर आये हैं।

मजदूर वर्ग की इस संकट की घड़ी में राहत की एक सांस भारतीय मजदूर संघ की ओर से मिल रही है। संघ परिवार का हिस्सा होने के बावजूद भारतीय मजदूर संघ खुलकर इन संशोधनों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। इस बगावत को लेकर जहां भाजपा सरकार ने भारतीय मजदूर संध को संघ परिवार से निष्कासित करने की धमकी तक दे डाली है वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इस मसले पर गंभीरता से विचार विमर्श करने में जुटा है। अब देखना है कि अगले एक-दो माह में इस बिल को संसद में पेश किये जाने के विरोध में भारत का मजदूर वर्ग किस स्तर तक का संघर्ष कर पाता है।

अतिक्रमणों का शहर, लोग जाम में जीने को मजबूर

फरीदाबाद (म.मो.) राष्ट्रीय राजमार्ग सहित शहर की तमाम भीतरी सड़कों पर अतिक्रमण के चलते जाम की स्थिति बनी रहती है। जिसका जब दिल करता है, जहां दिल करता है सड़क घेर कर बैठ जाता है। चलने के लिए बनी सड़कों पर कोई दुकान खोलकर बैठ जाता है, कोई दुकान का सामान सजा देता है तो कोई अपनी दुकान के सामने रेहड़ी खड़ी कराकर किराया वसूलने लगता है। और कुछ नहीं तो सड़क के बीच में तम्बू गाड़ कर जागरण शुरू कर देगा या जन्म दिन और विवाह समारोह के लिए सड़क घेर लेगा। आने-जाने वाले फिरे जाओ चक्कर काटते।

तिकोना पार्क वैष्णों देवी मंदिर में होने वाली आय से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने इस मंदिर से बीस-तीस गज पर (बस अड्डे की ओर) कुछ जगह घेर कर एक और मंदिर खड़ा कर दिया। नवरात्रों में वैष्णों देवी मंदिर की नकल करते हुए इस नये नवेले मंदिर के सामने वाली सड़क पर भी बेरिकेड लगाकर सड़क बंद कर दी गयी। जबकि वहां भीड़ तो क्या कोई बंदा ही नहीं था। मजे की बात तो यह देखी गयी कि एक दो पुलिस वाले जो वहां खड़े थे, वे उस बेरीकेड की रखवाली ऐसे कर रहे थे जैसे मंदिर वालों ने उन्हें नौकरी पर रखा हो।

बाटा चौक से हार्डवेयर चौक की सड़क तो ऐसे लगती है जैसे ट्रैफिक पुलिस वालों ने ट्रक वालों को बेच दी हो। सारा-सारा दिन यहां बड़े-बड़े ट्रालों का जमावड़ा लगा रहता है। दरअसल यहां टाटा स्टील कम्पनी का यार्ड होने की वजह से इन ट्रालों की आवाजाही बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका यह मतलब कदाचित नहीं होना चाहिये कि ट्राले पूरी सड़क पर ही इस कदर काबिज हो जायें कि अन्य लोगों का यहां से निकल पाना ही दूभर हो जाये।

इसी तरह शहर भर के तमाम चौक चौराहों खासकर, बी.के., नीलम, अजरौंदा, ओल्ड तथा बल्लभगढ़ बस अड्डे के बाहर इस कदर ऑटो व अन्य वाहन सड़क घेरे रहते हैं कि सामान्य ट्रैफिक फंस कर खड़ा हो जाता है। अधिक लम्बे जाम होने पर ही पुलिस हरकत में आती है। वरना आसपास की दुकानों के बाहर बैठकर पुलिस वाले तमाशा देखते रहते हैं। आटोवाले भी क्या करें जब समुचित पार्किंग की व्यवस्था ही न हो। सम्बन्धित सरकारी महकमे कान में तेल डालकर पड़े रहते हैं।

ओल्ड के चौक पर पुल का निर्माण कार्य चलने से सड़क को संकरा कर दिया गया है परन्तु सड़क किनारे अवैध रूप से कब्जा जमाये दुकानदारों या पार्किग करने वालों को रोकने-टोकने वाला कोई नहीं। यदि इस चौंक से अवैध कब्जों को हटा दिया जाये तो यहां जाम लगने का कोई कारण नहीं। इसी तरह ओल्ड चौक से एन.आई.टी. क्षेत्र में जाने के लिए करोड़ों रुपये की लागत से बने सबवे की उपयोगिता भी आधी ही रह गयी है। पहली रुकावट तो ओल्ड चौक से सबवे तक जाने का रास्ता है जो रेहड़ी वालों ने घेर रखा है, उसके बाद सैक्टर-21 की ओर जाने वाला रास्ता तो पूरी तरह से निर्बाध एवं ठीक है परन्तु एनआईटी अथवा रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाला रास्ता पूर्णतया बाधित है। आधा किलोमीटर का यह रास्ता खासकर स्टेशन के निकट पूरी तरह से अवैध कब्जों से घिरा है। कहीं रेहड़ी खड़ी है तो कहीं ऑटो। और तो और सड़क के ऊपर ही अवैध पार्किग स्टैंड बना हुआ है। जाहिर है इस सबके चलते यहां जाम की स्थिति का बने रहना स्वभाविक है।

ट्रैक्टर ट्राले-ट्रालियां, टैंकरों तथा अन्य अवैध व अनफिट वाहनों का तो कोई हिसाब ही नहीं। इनकी वजह से जाम तो लगते ही हैं, दुर्घटनायें भी आये दिन होती रहती हैं। कानूनन इस तरह के वाहन सड़कों पर चल ही नहीं सकते। लेकिन इसी कानून का डंडा दिखाकर पुलिस वाले इनसे अच्छी खासी एवं लगी-बंधी वसूली करते हैं। यदि सरकार एवं उसकी पुलिस इन्हें रोक नहीं पाती तो कानून में संशोधन करके इन्हें वैध वाहन का दर्जा ही दे दिया जायेए ताकि ये पुलिस की उगाही की मार से तो बच सकें।